रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 166] नई दिल्ली, बुधवार, जून 25, 1975 आषाढ़ 4, 1897
No. 166] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 25, 1975/ASADHA 4, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 25th June 1975

G. S. R. No. 344(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Kerala hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Fifteenth Amendment Regulations, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Kerala" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely :—

"Kerala

1.	Senior posts under the State Government	67
	Chief Secretary to Government	1
	Additional Chief Secretary to Government	1
	First Member, Board of Revenue	1
	Members, Board of Revenue	3

	Agricultural Production Commissioner	1
	Special Secretary	5
	Special Officer, Command Area Development Authority	1
	Secretary/Additional Secretary	15
	Secretary to Governor	1
	Joint Secretary/Deputy Secretary	9
	Secretary/Additional Secretary Board of Revenue	4
	Additional Secretary, Excise, Board of Revenue	1
	Director of Industries and Commerce	1
	Cardamom Settlement Officer	1
	Director of Harijan Welfare	1
	Labour Commissioner	1
	Director of Employment and Training	1
	Director of Civil Supplies	1
	Registrar of Cooperative Societies	1
	Collectors	11
	Deputy Rehabilitation Commissioner	1
	Special Commissioner, New Delhi	1
	Additional Director, Industries and Commerce	1
	Sub-Collectors	3
		67
2.	Central Deputation Reserve at 40% of 1 above	27
3.	Posts to be filled by promotion and selection under rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 at 25% of 1 and 2 above	23
4.	Posts to be filled by direct recruitment (1 and 2 minus 3 above)	71
5.	Deputation Reserve at 20% of 4 above	20*
6.	Leave Reserve at 5% of 4 above	4
7.	Junior posts at 20·60% of 4 above	15
8.	Training Reserve at 10·59% of 4 above	8
	Direct Recruitment posts	118
	Promotion posts	23
	Total authorized strength	141

*Includes the following 6 posts in excess of 20% :

1. Managing Director, Kerala Land Mortgage Bank Ltd.
2. Managing Director, Travancore Titanium Products, Ltd.
3. Project Officers—4 posts." SFDA.

[No. 11031/6/75-AIS (II)-A]

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 25 जून, 1975

सा० का० नि० 344(अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951

का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, केरल सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासन सेवा (सवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग सख्या का नियतन) पन्द्रहवां संशोधन विनियम, 1975 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रशासन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में "केरल" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"केरल

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद . . .	67
सरकार के मुख्य सचिव	1
सरकार के अपर मुख्य सचिव	1
प्रथम सदस्य, राजस्व बोर्ड	1
सदस्य, राजस्व बोर्ड	3
कृषि उत्पादन आयुक्त	1
विशेष सचिव	5
विशेष अधिकारी, समादेश (कमांड) क्षेत्रीय विकास प्राधिकारी	1
सचिव/अपर सचिव	15
राज्यपाल के सचिव	1
संयुक्त सचिव/उप सचिव	9
सचिव/अपर सचिव, राजस्व बोर्ड . . .	4
अपर सचिव, उत्पाद शुल्क राजस्व बोर्ड . . .	1
निदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य . . .	1
कार्यक्रम सैटलमैंट अधिकारी	1
हरिजन कल्याण निदेश	1
श्रम आयुक्त	1
रोजगार तथा प्रशिक्षण निदेशक . . .	1
सिविल पूर्ति निर्देशक	1
सरकारी समितियों के पंजीकरण . . .	1
समाहर्ता	11
उप-पुनर्वास आयुक्त	1
विशेष आयुक्त, नई दिल्ली	1

अपर निदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य . . .	1
उप-समाहर्ता	3
	67
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 1 के 40 प्रतिशत के हिसाब से ।	27
3. भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति तथा चयन द्वारा भरे जाने वाले पद	23
4. उपर्युक्त 1 और 2 के 25 प्रतिशत के हिसाब से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त 1 और 2 में 3 घटाकर)	71
5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 4 के 20 प्रतिशत के हिसाब से ।	20
6. छुट्टी रिजर्व (उपर्युक्त 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से) ।	4
7. कनिष्ठ पद (उपर्युक्त 4 के 20.60 प्रतिशत के हिसाब से)	15
8. प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त 4 के 10·59 प्रतिशत के हिसाब से ।	8
सीधी भर्ती वाले पद . . .	118
पदोन्नति वाले पद . . .	23
कुल प्राधिकृत संख्या . . .	141

*इन में 20 प्रतिशत के अतिरिक्त निम्नलिखित 6 पद शामिल हैं।

1. प्रबन्ध निदेशक केरल लैंड मोर्टगेज बैंक लिमिटड ।
2. प्रबन्ध निदेशक ट्रावनकोर टिटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड ।
3. परियोजना अधिकारी—एस०एफ०डी०ए०—4 पद ।

[सं० 11031/6/75-अ०भा०से० (II)-क]

G.S.R. No.345(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 11 of the Indian Administrative Service (pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Kerala, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954 namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Eleventh Amendment Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954,—

(a) In 'Schedule III-A Posts carrying pay above the time scale in the Indian Administrative Service under the State Governments' in the Table, for the entry "Kerala" occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted, namely:—

"Kerala	Chief Secretary to Government	Rs. 3,500
	Additional Chief Secretary to Government	Rs. 3,000
	First Member, Board of Revenue	Rs. 2,750 (Fixed)
	Members, Board of Revenue	Rs. 2500-125/2-2750
	Agricultural Production Commissioner	Rs. 2500-125/2/-2750
	Special Secretary	Rs. 2500-125/2-2750
	Special Officer, Command Area Development Authority	Rs. 2500-125/2-2750"

(b) In 'Schedule III-B Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments (including posts carrying special pay in addition to pay in the time scale)', in the Table, for the entry "Kerala" occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely:—

"Kerala	Secretary/Additional Secretary
	Secretary to Governor
	Joint Secretary/Deputy Secretary
	Secretary/Additional Secretary, Board of Revenue
	Additional Secretary, Excise, Board of Revenue
	Director of Industries and Commerce
	Cardamom Settlement Officer
	Director of Harijan Welfare
	Labour Commissioner
	Director of Employment and Training
	Director of Civil Supplies
	Registrar of Cooperative Societies
	Collectors
	Deputy Rehabilitation Commissioner
	Special Commissioner, New Delhi.
	Additional Director, Industries and Commerce
	Sub-Collectors."

[No. 11031/6/75-AIS(II)-B.]

A. K. Gupta, Under Secy.

सा० का० नि० 345(अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार,

केरल सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा नियम निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) ग्यारहवां संशोधन नियम, 1975 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में, —

(क) "अनुसूची—III में क- राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा में समय वेतन मान के अधिक वेतन वाले पद " सारणी में "केरल" के पहले कालम में उल्लिखित प्रविष्टियों तथा दूसरे और तीसरे कालमों में दी गई तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"केरल

सरकार के मुख्य सचिव . . .	3,500 रुपये
सरकार के अपर सचिव . . .	3,000 रुपये
प्रथम सदस्य राजस्व बोर्ड . .	2,750 रुपये (निर्धारित)
सदस्य, राजस्व बोर्ड . . .	2500—125/2—2750 रुपये
कृषि उत्पादन आयुक्त . . .	2500—125/2—2750 रुपये
विशेष सचिव . . .	2500—125/2—2750 रुपये
विशेष अधिकारी, समावेश (कमान) क्षेत्रीय विकास प्राधिकारी . .	2500—125/2—2750 रुपये ।"

(ख) "अनुसूची—III में— ख—राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा के [वरिष्ठ वेतमान में वेतन लेने वाले पद" (जिसमें समय वेतमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद शामिल है)" सारणी में, "केरल" के पहले कालम में उल्लिखित प्रविष्टि तथा] दूसरे कालम में दी गई तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :

"केरल

सचिव/अपर सचिव
राज्यपाल के सचिव
संयुक्त सचिव/उप सचिव
सचिव/अपर सचिव, राजस्व बोर्ड
अपर सचिव, उत्पादशुल्क, राजस्व बोर्ड
निदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य
कार्डमम सेटलमेंट अधिकारी
हरिजन कल्याण निदेशक
श्रम आयुक्त

रोजगार तथा प्रशिक्षण निदेशक
सिविल पूर्ति निदेशक
सहकारी समितियों के रजीकरण
समाहर्ता
उप पुनर्वास आयुक्त
विशेष आयुक्त, नई दिल्ली
उद्योग तथा वाणिज्य अपर निदेशक
उप-समाहर्ता ।"

[सं० 11031/6/75-अ० भा० से० (II)-बी]

ए० के० गुप्ता, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978